FAX

संख्या–1254 / XVI/07/5(128)/04/26(1)/2000

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:1 देहरादून:दिनांक, 03 दिसम्बर, 2007

विषय–चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में बाजार हस्तक्षेप योजनान्तर्गत माल्टा क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–494 / उ0त0 / बा0ह0यो0 / 2007–08 दिनांक 31 अक्टूबर,2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है,कि उत्तराखण्ड के माल्टा उत्पादक क्षेत्रों / चयनित जनपदों के कृषकों / उद्यानपतियों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदत्त किये जाने के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग,भारत सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना के संगत दिशा निर्देशों के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत लगभग 2000 मै0टन की सीमान्तर्गत "सी"ग्रेड माल्टा क्रय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्न शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– उपरोक्त योजना के अन्तर्गत "सी" ग्रेड माल्टा फलों का समर्थन मूल्य रू0–5.00 (रू0 पाँच मात्र) प्रति किग्रा0 निर्धारित किया जाता है।

2– योजनान्तर्गत "सी" ग्रेड माल्टा फलों का क्रय जनपद पिथौरागढ़,चम्पावत,अल्मोड़ा, बागेश्वर,रूद्रप्रयाग एवं चमोली के अन्तर्गत किया जायेगा।

3– फलों का क्रय / विक्रय जनपद अल्मोड़ा एवं बागेश्वर में फूड कैंडरेशन हल्द्वानी,नैनीताल द्वारा, जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में कुमाँयू मण्डल विकास निगम नैनीताल द्वारा तथा जनपद रूद्रप्रयाग एवं चमोली में गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

4– क्रय किये जाने वाले "सी" ग्रेड माल्टा फल का आकार न्यूनतम 40 मि0मी0 व्यास का हो, तथा रंग संतरे जैसे गहरा नारंगी हो साथ ही फल गला, कटा–फटा एवं सड़ा न हो व डण्ठल साफ कटी होनी चाहिए।

5– सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपार्जित किये जाने वाले माल्टा फलों का विपणन राज्य के भीतर तथा बाहर स्थापित प्रसंस्करण इकाईयों एवं मण्डीयों में विक्रय किया जायेगा।

6– "सी" ग्रेड माल्टा फल की न्यूनतम विक्रय दर रू0–2.75 (रू0 दो रूपया पैसे पिचहत्तर पैसे मात्र) प्रति किग्रा0 निर्धारित किया जाता है। ये दरें एफ0ओ0आर0 होगीं,तथा कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उक्त निर्धारित दर से कम मूल्य पर उपार्जित फलों का विक्रय नहीं किया जायेगा,परन्तु अधिक दर पर विक्रय किया जा सकता है।

7– कार्यदायी संस्थाओं को उनके द्वारा उपार्जित किये गये फलों के क्रय मूल्य के 05 प्रतिशत के बराबर की धनराशि बतौर हैण्डिलिंग चार्ज के रूप में दी जायेगी।

..2 / –

8– फलों के उपार्जन हेतु तीनों कार्यदायी संस्थाओं द्वारा चयनित जनपदों मे निम्न स्थानों पर कय/संग्रह केन्द्र स्थापित किये जायेंगे :–

जनपद का नाम	प्रस्तावित कय/संग्रह केन्द्र	उपार्जन संस्था का नाम
1	2	3
अल्मोडा	गरूडाबाज,द्वाराहाट,शीतलाखेत,लमगड़ा, जौरासी	फूट फेड हल्द्वानी
बागेश्वर	शामा,कपकोट,कांडा,गरूड़, बागेश्वर, कौसानी	फूट फेड हल्द्वानी
पिथौरागढ़	मूनाकोट,कनालीछीना,गंगोलीहाट,मडमानले, नाचनी, बेरीनाग, पिथौरागढ़	कुमांयू मण्डल विकास निगम नैनीताल
चम्पावत	मंच, चम्पावत, किमतोली,लोहाघाट, बाराकोट, खेतीखान	कुमांयू मण्डल विकास निगम नैनीताल
रूद्रप्रयाग	गुप्तकाशी,ऊखीमठ, अगस्तमुनी, मयाली, रूद्रप्रयाग	गढवाल मण्डल विकास निगम देहरादून।
चमोली	मण्डल, पीपलकोटी,सितोंडा, घाट, पोखरी, विषालखाल, रडुवा, चांदनीखाल, बछूवाबाण, गैरसैंण,कर्णप्रयाग,नौटी, आदि बद्री, थराली, देवाल, ल्वाणी।	गढवाल मण्डल विकास निगम देहरादून।

9– फूड फैडरेशन हल्द्वानी द्वारा 500 मै0टन,कुमायूँ मण्डल विकास निगम लि0 नैनीताल द्वारा 500 मै0टन तथा गढवाल मण्डल विकास निगम द्वारा 1000 मै0टन "सी" ग्रेड माल्टा फलों का उपार्जन चयनित जनपदों के अन्तर्गत किया जायेगा।

10–संग्रह केन्द्रों की संख्या व स्थान कार्यदायी संस्थायें माल्टा फलों की उपलब्धता के अनुसार घटा–बढा सकते है।

11–यह योजना केवल फल उत्पादक काश्तकारों के लिए लागू होगी, ठेकेदार व बिचौलिये इस योजना में आच्छादित नहीं होंगें। यह सुनिश्चित करना कार्यदायी संस्थाओं तथा सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारियों का व्यक्तिगत दायित्व होगा,कि केवल फल उत्पादकों से ही उपार्जन/कय किया जाये।

12–फल उत्पादकों को भुगतान एकाउन्ट पेई चैक या बैंक एड्वाइस के माध्यम से किया जायेगा।

13–तुडाई उपरान्त फलों में वाष्पीकरण एवं श्वसन किया के परिणामस्वरूप वजन में कमी आती है, अतः वजन में आने वाली कमी को ध्यान में रखते हुए कय के समय तौल में 02 प्रतिशत अधिक वजन लिया जायेगा।

14–निदेशक,उद्यान,सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं तथा चयनित जनपदों के जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा उक्त योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

15–तीनों कार्यदायी संस्थाओं द्वारा चयनित स्थानों पर अस्थाई रूप से कय/संग्रह केन्द्रों की मूलभूत व्यवस्थायें एवं कार्मिकों की तैनाती समयबद्ध रूप से कर ली जायेगी।

16–इस कार्य में सहयोग हेतु कार्यदायी संस्थाओं को सम्बन्धित जिले के जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा निकटस्थ उद्यान सचल दल केन्द्र पर कार्यरत् कार्मिक उपलब्ध कराये जायेंगें।

17–फलों के उपार्जन का कार्य दिनांक 03 दिसम्बर,2007 से दिनांक 28 फरवरी,2008 के मध्य किया जायेगा।

18–फलों के विकय से प्राप्त आय को सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उद्यान विभाग के राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित संगत लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

..3/–

19–योजना के संचालन में राज्य सरकार को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति भारत सरकार के कृषि मंत्रालय,कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा वास्तविक क्रय मूल्य के 25 प्रतिशत की सीमा तक 50 प्रतिशत क्षति की प्रतिपूर्ति की जायेगी,शेष क्षति की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

20–कार्यदायी संस्थाओं द्वारा चयनित जनपदों में "सी" ग्रेड माल्टा की उपलब्धता को देखते हुए उक्त निर्धारित सीमा तक माल्टा क्रय हेतु औचित्यपूर्ण धनराशि की मॉग प्रस्तुत किये जाने पर कार्यदायी संस्थाओं को यथाआवश्यक धनराशि अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

21–उक्त योजना के संचालन में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–0113–बाजार हस्तक्षेप योजना का कियान्वयन–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता में प्राविधानित बजट व्यवस्था, जो कि पूर्व में ही आपके निवर्तन में रखी गई है, के नामे डाला जायेगा। संगत उप मानक मद में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता निहित होने पर अनुदानान्तर्गत अन्य योजनाओं में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राथमिकता से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

22–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–386(P)/वित्त अनुभाग–4/2007 दिनांक–03 दिसम्बर 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

संख्या–1254/XVI/07/5(128)/04/26(1)/2000,तद्दिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रबन्ध निदेशक,गढवाल मण्डल विकास निगम लि0देहरादून/कुमायूँ मण्डल विकास निगम लि0,नैनीताल/फूट फैडरेशन, हल्द्वानी,नैनीताल को इस आशय से कि,योजनान्तर्गत चयनित जनपदों में "सी" ग्रेड माल्टा की उपलब्धता को देखते हुए माल्टा क्रय हेतु औचित्यपूर्ण धनराशि की मॉग का प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर निदेशक, उद्यान को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2– जिला उद्यान अधिकारी, अल्मोड़ा/बागेश्वर/पिथौरागढ/चम्पावत/रूद्रप्रयाग/चमोली।
3– उप निदेशक,उद्यान,गढवाल मण्डल,पौडी/कुमायूँ मण्डल,नैनीताल।
4– वित्त अनुभाग–4,उत्तराखण्ड शासन।
5– महालेखाकार उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बिल्डिंग,माजरा,देहरादून।
6– निदेशक(सहकारिता),कृषि एवं सहकारिता विभाग,कृषि मंत्रालय,भारत सरकार।
7– निदेशक,राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र,सचिवालय परिसर,देहरादून।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अहमद अली)
अनु सचिव।